न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 63/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामगिरी पत्नी श्योराम जाति कुम्हार

2. सुशीला पत्नी सुखानन्द जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती मन्जू पत्नी सरजीतसिंह जाति जाट निवासी भानोत हाल निवासी सी–67, हसन खां मेवा नगर, अलवर राजस्थान
2 निर्मला पत्नी रघुवीर जाति ब्राहमण
3 जोगेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति ब्राहमण
4 नरेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति ब्राहमण
5 सुरेन्द्र पुत्र रघुवीर जाति ब्राहमण
6 अनीता पुत्री रघुवीर जाति ब्राहमण
7 बबीता पुत्री रघुवीर जाति ब्राहमण
8 राजू पुत्र शीशराम जाति ब्राहमण
9 रामकिशन पुत्र शीशराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर
10 तहसीलदार कम भूमिधारी मुण्डावर

:———— रेस्पो0

अपील विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.4.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 2.6.2011 द्वारा उपखंड अधिकारी,मुण्डावर

———————————————————————

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री महेश गौड (बहस नहीं की)

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री ओमानन्द चौधरी

निर्णय दिनांक 11.06.21

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 301/2009 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 8.4.2011, जिसके द्वारा उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया था, तथा निर्णय दिनांक 2.6.2011, जिसके द्वारा वाद अंतिम तौर पर डिक्री किया गया था, के खिलाफ अदालत हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 936/240 रकबा 1.01 हेक्टेयर वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर में 1/2 भाग का खातेदार मदनलाल पुत्र बदरी था, जिससे उसका उक्त हिस्सा वादीया ने पंजीकृत बयनामा से खरीद किया था और कब्जा प्राप्त किया था । उक्त बयनामा के आधार पर वादीया खातेदार दर्ज हो गई । उक्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है । सभी सह खातेदार अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं । परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 आये दिन मजाहमत करते हैं और शामलात में खेती करने नहीं देते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर आराजी का विभाजन किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 8.4.2011 के द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है । तत्पश्चात कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय दिनांक 2.6.2011 द्वारा उक्त वाद पत्र अंतिम तौर पर डिक्री किया है । इन डिक्रियों से व्यथित होकर प्रतिवादीगण रामगिरी व सुशीला ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट को बहस हेतु काफी अवसर दिये गये । परन्तु उन्होंने बहस नहीं की । अतः विद्वान वकील रेंस्पो0 संख्या 01 की बहस सुन कर तथा अपील मीमो व वाद पत्र के तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है ।

4 बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि मेरी खरीदशुदा आराजी है और मैं रिकार्ड में खातेदार दर्ज हूं । विवादित भूमि शामलात खाते की आराजी है, जिसका मुझे विभाजन कराने का पूर्ण अधिकार है । अपीलांट ने तहत अदालत में कोई आपत्ति नहीं उठाई है । इसलिये उसे यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है । अपील मियाद बाहर है । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने अपील पत्रावली व तहत पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 की बहस तर्कों पर गौर किया । अपील पत्रावली में अपीलांट ने निवेदन किया है कि प्राथमिक आदेश दिनांक 8.4.2011 से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जानकारी दिनांक 15.6.2011 तक के समय को अपीलांट धारा 5 मियाद कानून के तहत माफ कराने की अधिकारी हैं । क्योंकि वकील ने निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं दी । इसलिये देरी को माफ किया जावे । अपीलांट ने तहत अदालत में जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था । अपीलांट ने आराजी का विभाजन कराने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी थी । अपीलांटस ने अपने जवाब दावा में स्पष्ट कर दिया था कि अपीलांट ने खातेदार मदनलाल से बाहमी बटवारा कर लिया था । यह बाहमी बटवारा वादीया द्वारा मदनलाल से भूमि क्रय करने से पूर्व ही कर लिया था । बाहमी बटवारा में 13 बिस्वा भूमि अपीलांटस के हिस्से में आई थी, जिस पर अपीलांटस काबिज हो गई और पक्की दीवार बनाकर रिहायशी बना रखी है । यह कार्यवाही अपीलांटान ने साल 2004 में ही कर ली थी । भूमि का पूर्व में ही बाहमी बटवारा हो चुका है । ऐसी स्थिति में पुनः बटवारा किया जाना विधिसम्मत नहीं है । कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जा अनुसार नहीं बनाई गई है । विभाजन के नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

6 अपील मीमो का अवलोकन करने के उपरान्त सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में व्यक्त किये गये तथ्यों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

7 अपील पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 अदालत हाजा में प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 23.2.2021 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार, मुण्डावर से विवादित आराजी के मौके की रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार, मुण्डावर ने अपने पत्रांक 326 दिनांक 23.3.2021 द्वारा मौका रिपोर्ट अदालत हाजा को भिजवाई गई है, जिसका अवलोकन किया गया । उक्त मौका रिपोर्ट में पक्षकारान कब्जा नक्शा बनाकर दर्शाया गया है । इसमें वादीया रेस्पो0 को 1/2 भाग का खातेदार एवं काबिज होना बताया है । अपीलांटस ने अपील मीमो में 13 बिस्वा भूमि पर पक्की दीवार बनाकर रिहायश बनाकर रहना व्यक्त किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में अपीलांट ने अपील के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और ना ही इस सम्बन्ध में अदालत हाजा द्वारा तलब की तहसीलदार, मुण्डावर की मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8 अपीलांट ने अपने अपील मीमो में मुख्य रूप से यह तथ्य भी व्यक्त किया है कि साल 2004 में ही आराजी अपीलांटान ने खरीद कर ली थी और 13 विस्वा भूमि का वाहमी बटवारा मदनलाल से करके कब्जा प्राप्त कर लिया था । परन्तु इस सम्बन्ध में अपीलांटस प्रतिवादीगण ने ना तो तहत अदालत में और ना ही अदालत हाजा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है । यहां तक कुर्रेजात रिपोर्ट में भी यह नहीं बताया है कि उक्त 13 विस्वा प्रतिवादीगण के कब्जे में है और उस पर उन्होंने अपनी रिहायश बना रखी है । कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जे अनुसार बनाया जाना पाया जाता है । इस रिपोर्ट के साथ एक नक्शा भी बनाया गया है । इस नक्शे में पक्षकारों के कब्जे को खसरा नम्बर में बटा नम्बर डालकर दर्शाया गया है । अर्थात कब्जा अनुसार तितम्बा काटा गया है ।

9 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि वादीया रेस्पो0 ने विवादित आराजी में से मदनलाल का 1/2 भाग क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया था । वादीया रेस्पो0 रेकार्ड में खातेदार दर्ज है । उसे अपनी सह खातेदारी की भूमि का विभाजन कराने का पूर्ण अधिकार है । इसलिये उसने विभाजन का वाद प्रस्तुत किया । तहत अदालत ने विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की है, उक्त रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण अपीलांटस द्वारा किसी प्रकार की उज्रदारी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है । कुर्रेजात रिपोर्ट रेकार्ड एवं कब्जा अनुसार बनना पाया जाता है । अपीलार्धीन डिक्रियां विभाजन के नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप पारित होना पाई जाती है, जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपील में तात्विक सारवान के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

10 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.4.2011 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 2.6.2011 यथावत रखी जाती है ।

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 63/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामगिरी पत्नी श्योराम जाति कुम्हार वगैरा

:——— अपीलांटस

वनाम

1. श्रीमती मन्जू पत्नी सरजीतसिंह जाति जाट निवासी भानोतहाल निवासी सी–67, हसन खां मेवा नगर, अलवर राजस्थान वगैरा

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.4.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 2.6.2011 द्वारा उपखंड अधिकारी,मुण्डावर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री महेश गौड (बहस नहीं की)

2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री ओमानन्द चौधरी

दिनांक 11.08.21

पर्चा डिक्री

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.4.2011 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 2.6.2011 यथावत रखी जाती है ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर